भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2845

(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए)

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ की ओर से अभ्यावेदन

2845. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

श्री तमिलसेल्वन थंगाः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ की ओर से सरकारी कर्मचारियों की तैनाती या उनके अनुरोध पर स्थानांतरण उनके जीवनसाथी की तैनाती वाले स्थान या उसके निकट ही किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार किए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिससे वे पारिवारिक और कार्यालयीन कार्य सरलता से कर सकें और उन्हें दो अलग-अलग स्थानों पर घर चलाने का आर्थिक बोझ न उठाना पड़े, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त अनुरोध पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसे अनुरोधों पर विचार किया जा सकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की अपेक्षा है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) तथा (ख): एक सरकारी कर्मचारी को सामान्य पारिवारिक जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए और बच्चों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.09.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28034/9/2002-स्था.(क) के माध्यम से जहां भी संभव हो, पति और पत्नी, जो सरकारी सेवा में है की एक ही स्थान पर तैनाती सुनिश्चित किए जाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
